न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2025

बउनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
2. जगदीश पुत्र मदनलाल
3. पप्पू लाल पुत्र मदनलाल
4. सत्यनारायण पुत्र मदनलाल
5. दमयन्ती पुत्री मदनलाल
6. रामप्यारी पत्नी मदनलाल

अकवाम मीणा निवासीगण कोलाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान — अपीलांटगण

बनाम

1. मुकुटबिहारी पुत्र मदनलाल दत्तक पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी माल बमोरी तहसील मांगरोल जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां — रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
वास्ते खारिज किये जाने इंतकाल नंबर 1797 दिनांक 09.10.2024

उपस्थितः 1. श्री कमलदीप सिंह हाडा अभिभाषक (अपीलांटगण)
2. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 05.05.2025

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स व रेस्पो. क्रम 1 के खाते मे ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोल मे खाता संख्या नया 223 मे खसरा नं0 1044 रकबा 1.23 हेक्टेयर, खसरा नंबर 1553 रकबा 0.65 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 26 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल 3 किता रकबा 2.71 हैक्टेयर स्थित है। पूर्व में उक्त आराजी अपीलान्ट्स व रेस्पो0 के पिता मदनलाल व उसके भाई कालूलाल व भूरी पुत्री धन्नी के खातेदारी मे दर्ज थी। दिनांक 09.10.2024 को इंतकाल नंबर 1797 से उक्त आराजी मदनलाल की मृत्युपरांत विरासत मे अपीलान्ट्स व रेस्पो0 के खाते दर्ज हुई है। रेस्पो0 मुकुटबिहारी पुत्र मदनलाल अपने काका कालूलाल के यहां बचपन में ही गोद चला गया था तथा कालूलाल की समस्त चल अचल संपत्ति का वारिस बन गया। गोद पुत्र की हैसियत से रेस्पो0 क्रम 1 का नाम कालूलाल के परिवार राशन कार्ड, मतदाता सूची, नरेगा योजना के जॉब कार्ड, पंचायत मतदाता सूची 2009, मे दर्ज हो चुका है। रेस्पो0 क्रम 1 मुकुटबिहारी के कालूलाल के यहां दत्तक पुत्र चले जाने से अपीलान्ट्स के पिता मदनलाल द्वारा एक वसीयतनामा दिनांक 15.02.2017 को गवाह साहबलाल पुत्र मोहनलाल मीणा निवासी कोलाना व प्रभूलाल पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी कोलाना, तहसील पीपल्दा जिला कोटा की मौजूदगी मे निष्पादित किया गया था जिसमें उसने मुकुटबिहारी रेस्पो0 क्रम 1 के यहां गोद चले जाने का तथ्य जाहिर करते हुए अपनी समस्त चल अचल सम्पति की वसीयत अपीलान्ट्स के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी परन्तु रेस्पो क्रम 1 द्वारा सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी होते हुए भी राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर अपीलान्ट्स के पिता/पति मदनलाल की मृत्युपरांत गुपचुप तरीके से मृतक मदनलाल का फौती इंतकाल खुलवाया जिसमें अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर उक्त इंतकाल नंबर 1797 दिनांक 09.10.2024 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया। रेस्पोन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांटगण एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.05.09 16:43:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

01 यह कि अपीलान्ट्स व रेस्पो0 क्रम 1 के खाते मे

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि रेस्पो0 मुकुटबिहारी पुत्र मदनलाल अपने काका कालूलाल के यहां बचपन में ही गोद चला गया था तथा कालूलाल की समस्त चल अचल संपत्ति का वारिस बन गया। रेस्पो0 क्रम 1 मुकुटबिहारी के कालूलाल के यहां दत्तक पुत्र चले जाने से अपीलान्ट्स के पिता मदनलाल द्वारा एक वसीयतनामा दिनांक 15.02.2017 को रूबरू गवाहान निष्पादित की जिसमें उसने मुकुटबिहारी रेस्पो0 क्रम 1 के यहां गोद चले जाने का तथ्य जाहिर करते हुए अपनी समस्त चल अचल सम्पति की वसीयत अपीलान्ट्स के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी परन्तु रेस्पो क्रम 1 द्वारा सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी होते हुए भी राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर अपीलान्ट्स के पिता/पति मदनलाल की मृत्युपरांत गुपचुप तरीके से मृतक मदनलाल का फौती इंतकाल खुलवाया जिसमें अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम मालबमोरी का नामान्तकरण संख्या 1797 दिनांक 09.10.2024 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो0 कम 1 ने उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पो0 कम 1 के संयुक्त खाते की आराजी ग्राम कोलाना तहसील पीपलदा, जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी संवत 2075–78 खाता संख्या नया 56 पुराना 54 अनुसार किता 2 रकबा 1.64 है. स्थित है उसमें भी अपीलांट्स व रेस्पो0 कम 1 के पति/पिता मदनलाल के हिस्से की आराजी पर रेस्पो0 कम 1 का नाम बहैसियत वारिस दर्ज हुआ है। रेस्पो0 कम 1 के काका कालूलाल पुत्र पोखरीलाल ने रेस्पो0 कम 1 के छोटे पुत्र धर्मेन्द्र कुमार को गोद लिया है, जो उप पंजीयक मांगरोल द्वारा पंजीकृत गोदनामा दिनांक 01.09.2015 की छायाप्रति से स्पष्ट है। रेस्पो0 कम 1 के पिता का नाम मदनलाल पुत्र पोखरीलाल ही हैं। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पो0 कम 1 ने आधार कार्ड मदनलाल, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जलोदा खातियान, छायाप्रति पेन कार्ड मुकुट बिहारी रेस्पो0 कम 1, छायाप्रति अंकतालिका सैकण्डरी स्कूल परीक्षा रेस्पो0 कम 1, छायाप्रति प्रमाण पत्र सैकण्डरी स्कूल परीक्षा रेस्पो0 कम 1, छायाप्रति टी.सी. रेस्पो0 कम 1 आदि सभी दस्तावेजात में रेस्पो0 कम 1 के पिता का नाम मदनलाल ही अंकित है। अपीलांट द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़कर अपील पेश की गई है। कथित वसीयत अनरजिस्टर्ड है, जो नल एण्ड वोईड है। यदि उक्त वसीयत वैध है तो अपीलांट्स को खातेदार मदनलाल पुत्र पोखरीलाल की मृत्यु के पश्चात तहसीलदार मांगरोल के समक्ष पेश करना चाहिये था। तहसीलदार मांगरोल द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण मृतक के समस्त वारिसान के पक्ष में विधिअनुरूप खोला गया है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

अपीलांट्स का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि मृतक मदनलाल ने अपने जीवनकाल में रूबरू गवाहान वसीयत की थी जिसमें रेस्पो0 कम 1 को अपने भाई कालूलाल के यहां गोद जाना बताया है। जबकि रेस्पो0 कम 1 द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 01.09.2015 से यह स्पष्ट है कि मृतक कालूलाल ने रेस्पो0 कम 1 के छोटे पुत्र धर्मेन्द्र कुमार को गोद लिया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति वसीयतनामा दिनांक 15.02.2017 अपंजीकृत दस्तावेज है जिसे भी अपीलांट्स ने नामान्तकरण दर्ज करने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया। यदि अपीलान्ट्स द्वारा वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जाती तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर उसका निस्तारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 के तहत किया जाता जबकि अपीलान्ट्स ने ऐसी कार्यवाही का अंकन ना तो अपील में किया ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली में पेश किया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.05.09 16:43:13 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज0)